## The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

#i. 102] No. 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2010/फाल्गुन 14, 1931

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2010/PHALGUNA 14, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

सा.का.नि. 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 के नियम 3 तथा नियम 5 के साथ पठित सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण) अधिनयम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेबिलंग) (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाए।
  - (2) यें नियम । जून, 2010 को लागू होंगे ।
- सिगरेट एवं अन्य तम्बाक् उत्पाद (पैकेजिंग व लेबलिंग)
   नियम, 2008 में.
- (1) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेबिलिंग) नियम, 2008 की अनुसूची के पैराग्राफ 2 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां निम्नलिखित हैं :-

तम्बाकू पैकों के धूम्रपान वाले प्रकारों हेतु :--



 तम्बाकू पैकेजों के चलाए जाने वाले अथवा धुआंरिहत प्रकारों हेतु :—



[पी. 16011/3/2008-पीएच.1] वी. वेंकटाचलम, अपर सचिव

नोट: मुख्य नियमों को 15 मार्च, 2008 के संख्या सा.का.नि. 182(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और बाद में इनमें दिनांक 29-9-2008 के संख्या सा.का.नि. 693(अ) के तहत और दिनांक 28-11-2008 के का.आ. 2814(अ) के तहत और दिनांक 3-5-2009 के संख्या सा.का.नि. 305(अ) के तहत संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2010

G.S.R. 176(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7, sub-section (2) of Section 8, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), read with Rule 3 and Rule 5 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment to the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008 namely:—

- Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) (Amendment) Rules, 2010.
  - (2) They shall come into force on 1st June, 2010.
- In the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008.

For the Paragraph 2 of the SCHEDULE of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008 the following shall be substituted, namely:—

The specified health warnings are-

1. For smoking forms of tobacco packs :--



2. For chewing or smokeless forms of tobacco packages:—



[P.16011/3/2008-PH.I]
V. VENKATACHALAM, Addl. Secy.

Note:—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 182(E) dated 15th March, 2008 and subsequently amended vide No. G.S.R. 693(E) dated 29-9-2008 and vide No. S.O. 2814(E) dated 28-11-2008 and vide No. G.S.R. 305(E) dated 3-5-2009.